ओ३म्

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू.जी.सी. एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

शिक्षा पटल बैठक की कार्यवाही

स्थान : सीनेट हॉल सभागार **दिनांक : 16 दिसम्बर, 2025** **समय : अपराह्न 03.00**

समविश्वविद्यालय में भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) के अनुरूप गठित शिक्षा पटल की बैठक मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में आहुत की गयी जिसमें निम्न महानुभाव उपस्थित रहे :

क्र.सं.	नाम शिक्षक	विभाग/संकाय
1.	प्रो० प्रतिभा मेहता लूथरा	मा0 कुलपति जी
2.	प्रो० विनय विद्यालंकार	शिक्षाविद्/विशेषज्ञ सदस्य (ऑनलाईन)
3.	प्रो० श्रवण कुमार शर्मा	शिक्षाविद्/विशेषज्ञ सदस्य
4.	प्रो० एल0पी0 पुरोहित	परीक्षा नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग
5.	प्रो० विनोद कुमार सिंह	वित्ताधिकारी एवं प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
6.	प्रो० देवेन्द्र कुमार गुप्ता	संकायाध्यक्ष, प्राच्य विद्या संकाय, विभागाध्यक्ष, प्रा०भा०इ०,सं० एवं पुरातत्व, वेद, दर्शन विभाग एवं ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकाण्ड विभाग
7.	प्रो० हेमलता के०	संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं हिन्दी विभाग
8.	प्रो० निपुर सिंह	संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
9.	प्रो० नमिता जोशी	संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग
10.	प्रो० सुरेखा राणा	संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय प्रबन्ध अध्ययन विभाग
11.	प्रो० मयंक अग्रवाल	संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल विभाग
12.	प्रो० मुकेश कुमार	संकायाध्यक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय, तथा विभागाध्यक्ष, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
13.	प्रो० सत्यदेव निगमालंकार	संकायाध्यक्ष योग एवं शारीरिक शिक्षा संकाय एवं विभागाध्यक्ष श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान विभाग
14.	प्रो० हेमन पाठक	कोऑडिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर विज्ञान विभाग (ऑनलाईन)
15.	डॉ० अरूण कुमार	विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
16.	प्रो० सीमा शर्मा	विभागाध्यक्ष, गणित एवं सांख्यिकी विभाग
17.	डॉ० कपिल गोयल	प्रभारी, भेषज विज्ञान विभाग
18.	प्रो० अंजली गोयल	विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग
19.	प्रो० ब्रह्मदेव	विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग
20.	डॉ० अजय मलिक	प्रभारी, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग
21.	डॉ० एम0एम0 तिवारी	विभागाध्यक्ष, अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग
22.	प्रो0 विपुल शर्मा	विभागाध्यक्ष, इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग
23.	डॉ० ऊधम सिंह	प्रभारी, योग विज्ञान विभाग
24.	प्रो० विवेक कुमार	प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान
25.	प्रो० पंकज मदान	प्रोफेसर, प्रबन्ध अध्ययन विभाग
26.	प्रो० मुदिता अग्निहोत्री	प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग
27.	प्रो० प्रवीणा चतुर्वेदी	प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
28.	प्रो० राकेश कुमार	प्रोफेसर, मनोविज्ञान विभाग (ऑनलाईन)
29.	प्रो० रामप्रकाश वर्णी	प्रोफेसर, श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान विभाग

30.	प्रो0 नवनीत	प्रोफेसर, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
31.	प्रो0 कर्मजीत भाटिया	प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
32.	प्रो0 प्रभात कुमार	प्रोफेसर, प्रा0भा0इ0,सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
33.	प्रो0 रेणु शुक्ला	प्रोफेसर, प्रा0भा0इ0,सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
34.	डॉ० राज कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग
35.	डॉ० मनोज कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी विभाग
36.	डॉ० आभा शुक्ला	एसोसिएट प्रोफेसर, रसायन विज्ञान विभाग
37.	डॉ० निधि हाण्डा	एसोसिएट प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी विभाग
38.	डॉ० संगीता मदान	एसोसिएट प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग
39.	डॉ० बबीता शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग
40.	डॉ० रीतू अरोड़ा	असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित एवं सांख्यिकी विभाग
41.	डॉ० ऋचा सैनी	असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी विज्ञान विभाग
42.	डॉ० हिमांशु गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी विज्ञान विभाग
43.	प्रो० नवनीत	कुलसचिव/संयोजक

ईश वंदना के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कुलसचिव द्वारा नवनियुक्त मा0 कुलपति प्रो0 प्रतिभा मेहता लुथरा तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। मा0 कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव द्वारा परीक्षा नियंत्रक को प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आमंत्रित किया गया। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गए। प्रस्तावों पर लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नवत है :

प्रस्ताव संख्या–01	**श्रीराम जी (सेवानिवृत्त, ड्राईवर) के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि।**
	सदन द्वारा दो मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।
प्रस्ताव संख्या–02	**नए सदस्य डॉ० विवेक कुमार, प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग का स्वागत।**
	सदन में नए सदस्य डॉ० विवेक कुमार, प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग का स्वागत किया गया।
प्रस्ताव संख्या–03	**शिक्षा पटल की गत बैठक दिनांक 30.06.2025 की कार्यवाही का अनुमोदन।**
	शिक्षा पटल की गत बैठक दिनांक 30.06.2025 के निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गयी : **प्र.सं. 04 के दिनांक 23.11.2024 के पूरक प्र.सं. 02** कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान विभाग में बी0टैक पाठ्यक्रम के संचालन पर चर्चा की गयी। बैठक में सदन को अवगत कराया गया कि बी0टैक कक्षाएं कन्या गुरुकुल परिसर हरिद्वार में कक्षाएं चल रही है। दिनांक 30.06.2025 को आहुत हुई शिक्षा पटल की बैठक के उक्त प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु प्रस्तुत किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय कुलपति महोदया द्वारा लिया जाए। तात्कालिक मा0 कुलपति प्रो0 हेमलता के0 महोदया ने उक्त के संदर्भ में समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट की संस्तुति पर कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार में बी0टैक की कक्षाएं संचालित की जा रही है(रिपोर्ट संलग्न है), जिसके अनुसार उक्त पाठ्यक्रम कन्या गुरूकुल परिसर, हरिद्वार में चलाया जा रहा है। **प्र.सं. 05 (iii) साहित्यिक चोरी के संदर्भ में** प्रो0 पंकज मदान ने सदन को अवगत कराया कि साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए नए सॉफ्टवेयर क्रय करने हेतु बजट बढ़ाया जाए जिससे शोध प्रबन्ध, लघु शोध, शोध पत्र, आलेख तथा अन्य साहित्यिक पुस्तकों का प्लेगरिज्म का अवलोकन किया जा सके। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। **प्र.सं. 08 सत्र 2025–26 की अवकाश सूची ।** उक्त के संदर्भ में मा0 कुलपति प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा ने कहा कि प्राध्यापकों हेतु अवकाश ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु की अधिकृत जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की नियमावली का संज्ञान लिया जाए। उक्त आलोक में कार्यवाही की जाए। **प्र.सं. 11 डी.लिट./डी.एस–सी. के संदर्भ में** सदन में चर्चा हुई कि उक्त संदर्भ में

	गठिन समिति द्वारा नियमों का अवलोकन किया जाए तथा नए नियम बनाकर आगामी शिक्षा पटल की बैठक में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाए। **प्र.सं. 14 कन्या गुरुकुल परिसर में एम0टैक (कम्प्यूटर विज्ञान) प्रारम्भ किए जाने पर विचार।** एम0टैक न खोले जाने वाले पूर्व निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए उक्त के संदर्भ में मा0 कुलपति महोदया के आदेशानुसार कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में उक्त पाठ्यक्रम को संचालित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम संचालित होने से पूर्व सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए जिससे कि भविष्य में छात्राओं को प्रवेश दिया जा सके। विचारोपरान्त यह निश्चय किया कि छात्र एवं छात्राओं की सीटों पर प्रवेश हेतु समरूपता रखी जाए। **प्र.सं. 23 पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध के माध्यम में संस्कृत–अनिवार्यता की बाध्यता को समाप्त करने पर विचार।** उक्त संदर्भ में संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष ने कहा कि संस्कृत विभाग में शोध प्रबन्ध संस्कृत भाषा में भी लिखा जाता है लेकिन व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते तथा हिन्दी भाषा में भी होना चाहिए। उक्त के संदर्भ में मा0 कुलपति महोदया ने कहा कि संस्कृत विषय का पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध को संस्कृत भाषा में ही लिखा जाए। हिन्दी भाषा में संस्कृत शोध कार्य को करने पर मा0 कुलपति ने कहा कि भविष्य में शोधार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसलिए संस्कृत विभाग के शोधार्थियों का संस्कृत भाषा में शोध प्रबंध जमा होना चाहिए जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। **पू.प्र.सं. 01 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग में कार्यरत दुष्यन्त राणा, कोच ने एम0पी0एड0 करने हेतु आवेदन किया है। दुष्यन्त राणा को एम0पी0एड0 करने की स्वीकृति पर विचार।** उक्त विषय पर प्रो0 ब्रह्मदेव ने कहा कि इस प्रकार की सुविधा का लाभ सभी को दिए जाने हेतु स्पष्ट नियम होने चाहिए। दुष्यन्त राणा ने उक्त संदर्भ में कुलसचिव कार्यालय को नियम पूर्व में ही उपलब्ध करा दिए थे। जिससे उन्हें अनुमति देने का अनुमोदन किया गया। **पू.प्र.सं. 02 दिनांक 12.07.2024 के प्रस्ताव संख्या के अनुसार पूर्व में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान की कार्यवाही पर विचार।** उक्त के संदर्भ में दिनांक 30.06.2025 को आहुत हुई शिक्षा पटल की बैठक में निर्णय लिया गया कि गठित समिति की संस्तुति के आधार पर श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान को शैक्षिक कर दिया जाए तथा इसमें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किये जाए। उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व आई.क्यू.ए.सी. द्वारा जारी प्रारूप के नियमों को पूर्ण करना श्रेयस्कर होगा। श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान के अध्यक्ष, प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार ने सदन के समक्ष MA हिन्दुतत्व (Hinduism) पाठ्यक्रम संचालित किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे भविष्य में संचालित किया जाएगा। उक्त संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को विस्तृत प्रपोजल भेजा जाना चाहिए अनुमति मिलने के पश्चात पाठ्यक्रम संचालित किया जाए। प्रो0 एम0एम0 तिवारी ने कहा कि समविश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रपोजल भेजकर स्वीकृती के पश्चात ही पाठ्यक्रम संचालित किया जाए जिससे शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पद तथा विभागीय संरचना हेतु अनुदान प्राप्त किया जा सके। **पू.प्र.सं. 03 समविश्वविद्यालय में स्वयं/मूक पाठ्यक्रम में नीति बनाए जाने पर विचार।** उक्त प्रबन्धन संकाय में सत्र 2024–25 में अध्ययनरत कुछ छात्रों (बी.बी.ए. तथा एम.बी.ए.) द्वारा स्वयं पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने के कारण प्रस्तुत किया गया था। इस विषय पर विचार हेतु परीक्षा नियंत्रक प्रो. एल.पी. पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर सदन द्वारा संतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई। सदन में सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया।

<table>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–04</td><td>शिक्षा पटल की गत बैठक दिनांक 30.06.2025 में पारित प्रस्तावों (प्रस्ताव 17, 18, 19, 21, 23, 25 व पूरक प्रस्ताव 1, 2, 3) पर क्रियान्वयन।</td></tr>
<tr><td></td><td>शिक्षा पटल की गत बैठक दिनांक 30.06.2025 में पारित प्रस्तावों (प्रस्ताव 17, 18, 19, 21, 23, 25 व पूरक प्रस्ताव 1, 2, 3) का क्रियान्वयन।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–05</td><td>समविश्वविद्यालय में जून 2025 से नवम्बर 2025 तक घोषित परीक्षा परिणामों का अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td></td><td>समविश्वविद्यालय में जून 2025 से नवम्बर 2025 तक घोषित परीक्षा परिणामों की सम्पुष्टि की गयी।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–06</td><td>शोध उपाधि अधिसूचना (जुलाई 2025 से नवम्बर 2025 तक) का अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td></td><td>शोध उपाधि अधिसूचना (जुलाई 2025 से नवम्बर 2025 तक) की सम्पुष्टि की गयी।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–07</td><td>समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं कोऑर्डिनेटर की बैठक दिनांक 29.10.2025 की कार्यवाही का अनुमोदन।</td></tr>
<tr><td></td><td>इस संदर्भ में प्रवेश संबंधी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं कोऑडिनेटर की बैठक के निर्णयानुसार निदेशक, प्रवेश प्रक्रिया प्रो0 कर्मजीत भाटिया ने कहा कि छात्राओं का प्रवेश बी0टैक में जोसा के माध्यम से किया जाए। उक्त पाठ्यक्रम में छात्र और छात्राओं के प्रवेश का माध्यम एक होना चाहिए। प्रो0 मयंक अग्रवाल ने कहा कि छात्राओं को जोसा के माध्यम से बी0टैक में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। प्रो0 एम0 एम0 तिवारी, ने जोसा से सम्बधित विस्तृत जानकारी सदन को दी और कहा कि गत वर्ष की भांति प्रवेश प्रक्रिया जारी रखना ही उचित होगा। विचारोपरान्त यह निश्चय किया कि छात्र एवं छात्राओं की सीटों पर प्रवेश हेतु समरूपता रखी जाए। समस्त संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों एवं कोऑडिनेटर की बैठक दिनांक 29.10.2025 की अन्य शेष कार्यवाही सम्पुष्ट हुई।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–08</td><td>बोर्ड ऑफ स्टडीज की कार्यवाही का अनुमोदन।
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>विभाग</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>बी0टैक एवं डिप्लोमा (Electrical Engg.)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>बी0टैक एवं एम0टैक (ECE)</td></tr>
</table>
बोर्ड ऑफ स्टडीज बैठक (BOS) की कार्यवाही सम्पुष्ट हुई।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–09</td><td>अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में संचालित अप्लायड साइंस (भौतिकी, रसायन एवं गणित) विभाग के अन्तर्गत शोधरत छात्र/छात्राओं को संबंधित विषय भौतिकी, रसायन एवं गणित में पी–एच0डी0 उपाधि प्रदान किए जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td></td><td>समविश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अंतर्गत अप्लाइड साइंस (भौतिकी, रसायन व गणित) विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग में अप्लाइड भौतिकी, अप्लाइड रसायन विज्ञान एवं अप्लाइड गणित–इन तीन विषयों को समाहित किया गया है। शिक्षा पटल की बैठक में उपर्युक्त विभागों में शोध कार्य संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई। पूर्व व्यवस्था के अनुसार इन तीनों विषयों–अप्लाइड साइंस (भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित) की बी0ओ0एस0 एवं आर0डी0सी0 की बैठकें अलग–अलग आयोजित की जाती थीं। उक्त विषयों में 'Applied Science' शब्द के साथ उपाधियाँ आवंटित की जाती रही हैं। यह जानकारी सदन को प्रो0 विवेक कुमार ने दी।
इस संदर्भ में मा0 कुलपति महोदया ने कहा कि एप्लाइड साइंस (भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित) विषय में पी–एच0डी0 में प्रवेश लेने पर एप्लाइड साइंस (भौतिकी/रसायन विज्ञान/गणित) विषय की ही उपाधि दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–10</td><td>हिन्दी विभाग से प्राप्त प्रार्थना पत्र जिसमें हिन्दी विषय में डी.लिट विषय को विभाग में प्रोफेसर की नियुक्ति होने तक प्रवेश न दिए पर विचार।</td></tr>
<tr><td></td><td>सदन में उक्त संदर्भ में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन विभागों में प्रोफेसर नियुक्त नहीं है, उन सभी विभागों में प्रोफेसर की नियुक्ति होने तक डी.लिट/डी.एस–सी. पाठ्यक्रम लम्बित रहेंगे तथा उन विषयों का उल्लेख डी.लिट/डी.एस–सी. की विवरणिका में अंकित न किया जाए।</td></tr>
<tr><td>प्रस्ताव संख्या–11</td><td>हिन्दी विभाग के अन्तर्गत संचालित बी0जे0 (हिन्दी पत्रकारिता) पाठ्यक्रम का नाम परिवर्तित कर पी0जी0 हिन्दी पत्रकारिता किए जाने पर विचार।</td></tr>
<tr><td></td><td>उक्त प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।</td></tr>
</table>

प्रस्ताव संख्या–12	**डी.लिट एवं डी.एस–सी. में प्रवेशित प्राध्यापकों (प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, डा0 पवन कुमार) की गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि अधिकतम 03 वर्ष समाप्त हो गयी है। उक्त पाठ्यक्रम की समयावधि बढ़ाए जाने पर विचार।**
	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया डी.लिट एवं डी.एस–सी. में प्रवेशित प्राध्यापकों को शिक्षा पटल की बैठक से तीन माह का समयावधि विस्तार किए जाने का अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या–13	**शोध कार्य हेतु अध्ययनरत कुछ अभ्यर्थियों (श्री शिव कुमार सिंह, अमरीश, सुमित कुमार, प्रियांश कुमार उत्सुक, प्रवेश स्वरूप, आशीष आर्य) की समयावधि 06 वर्ष पूर्ण हो गयी है। भारत का राजपत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना दिनांक 07 नवम्बर 2022 के बिन्दु संख्या 04 (2) के आलोक में शोध समयावधि विस्तार पर विचार**
	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उक्त संदर्भ में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा किए जाने हेतु शिक्षा पटल की बैठक से तीन माह का समयावधि विस्तार किए जाने का अनुमोदन किया गया।
प्रस्ताव संख्या–14	**पी–एच0डी0 प्रवेश प्रक्रिया के लिए शोध प्रवेश परीक्षा (RET) की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार।**
	उक्त के संदर्भ में शोध प्रवेश परीक्षा संबंधी नियमों की समीक्षा हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सदन द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही सदन ने समिति की संस्तुति के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र से वर्ष में दो बार शोध में प्रवेश NET/NET-JRF/GATE/GPAT अथवा इसी तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के आधार पर दिए जाने की सहमति प्रदान की।
प्रस्ताव संख्या–15	**शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग में कार्यरत प्राध्यापकों (डॉ0 शिव कुमार चौहान, डॉ0 प्रणवीर सिंह, डॉ0 कपिल मिश्रा, डॉ0 अनुज कुमार(अनुबन्ध) को शोध निर्देशक बनाए जाने पर विचार।**
	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार केवल स्थाई शिक्षकों को ही निर्देशक बनाया जा सकता है। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।
प्रस्ताव संख्या–16	**जन्तु एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के कन्या गुरुकुल परिसर में छात्राओं के लिए एम0एस–सी0 के साथ–साथ PG Diploma in Industrial Health Safety and Environment पाठ्यक्रम संचालित किए जाने पर विचार।**
	उक्त विषय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
प्रस्ताव संख्या–17	**संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा प्रेषित पत्र के निम्न बिन्दुओं पर विचार** i) सत्र 2026–27 से उपरोक्त पाठ्यक्रम खोलने का प्रस्ताव : • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा Working Professional के लिए 30 सीटें। • बी0टैक (इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग) में Very Large Scale Integration (VLSI) Specialisation के लिए 30 सीटें। • बी0टैक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में Robotics & Automation के लिए 30 सीटें। • कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में M.Tech. (Working Professional) के लिए 18 सीटें। ii) अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिकी, रसायन एवं गणित) विभाग के अन्तर्गत पी–एच0डी0 कोर्स की उपाधि में विषय का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। iii) समविश्वविद्यालय में Adhoc Teaching & Non Teaching Staff के लिए पी–एच0डी0 में प्रवेश हेतु 02 वर्ष के अनुभव की बाध्यता समाप्त किए जाने पर विचार।
	i) सत्र 2026–27 से निम्नलिखित पाठ्यक्रम खोलने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इन्हें AICTE की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। ii) प्रस्ताव संख्या 09 में उल्लेखित। iii) उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या– 18	**सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के निर्देशन में शोधरत अभ्यर्थियों को शोध कार्य निरन्तर जारी रखने पर विचार**
	उक्त विषय पर सदन में विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के निर्देशन में कार्यरत शोधार्थियों को विभाग में वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों के निर्देशन में समायोजित किया जाएगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि सेवानिवृत्त अध्यापकों को सह–पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया जा सकता है, बशर्ते संबंधित सेवानिवृत्त प्राध्यापक अपनी लिखित सहमति प्रदान करे। सदन में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी वर्तमान प्राध्यापक के अधीन शोध निर्देशन हेतु कोई सीट उपलब्ध नहीं है तो सेवानिवृत्त प्राध्यापकों के निर्देशन में कार्यरत शोधार्थियों को सुपरन्यूमेरेरी (Supernumerary) सीट के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
प्रस्ताव संख्या– 19	**भेषज विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित पत्र के निम्न बिन्दुओं पर विचार** **1. Reinforcement of External Examiner System for Practical Examinations in B.Pharm., M.Pharm and D.Pharm Programmes.** **2. Proposal for Inclusion of Grace Marks Provision in line with practices followed by other Universities.** **3. Introduction of a Third Special Internal Assessment for all semesters.** **4. Required amendments in the Examination Ordinance to implement the above proposals.**
	1. सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगात्मक, प्रोजेक्ट, लघु शोध प्रबन्ध, पी–एच0डी0 शोध प्रबन्ध हेतु बुलाया जाये। उक्त समस्त परीक्षाओं में आने वाले बाह्य परीक्षकों को यात्रा भत्ता अधिकतम 300 किलोमीटर तक की परिधि का दिया जाएगा। 2–4. सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त संदर्भ में एक समिति का गठन किया जाए। सदन ने प्रो0 विवेक कुमार, अध्यक्ष, प्रो0 अंजली गोयल, सदस्य प्रो0 मयंक अग्रवाल, सदस्य, डा0 कपिल गोयल, सदस्य एवं डा0 पंकज कौशिक संयोजक होंगे। उक्त समिति अपनी रिपोर्ट कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित करेगी जिसे आगामी शिक्षा पटल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

कुलसचिव / संयोजक

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

पूरक प्रस्ताव संख्या– 01	**ज्योतिर्विज्ञान एवं वैदिक कर्मकाण्ड विभाग में एक वर्षीय पी0जी0 डिप्लोमा (वास्तुविज्ञान एवं ज्योतिर्विज्ञान) एवं बी0ए0 कक्षा में ज्योतिर्विज्ञान का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर विचार**
	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभाग में प्राध्यापकों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण वर्तमान में उक्त पाठ्यक्रम संचालित नहीं किये जायेंगे।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 02	**सहायक परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रेषित पत्र पर विचार।** 1- एम.फार्म. डिग्री के सम्बन्ध में सूचित किया जाना है कि एम.फार्मा. तीन विषयों में संचालित हो रही है जैसे : **Master of Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry)** **Master of Pharmacy (Pharmaceutics)** **Master of Pharmacy (Pharmacology)** स्नातकोतर कक्षाओं की डिग्री के प्रारूप में हिन्दी वर्जन में पाठ्यक्रम के बाद निष्णातः का प्रयोग किया जाता है। समरूपता बनाये रखने के आलोक में हिन्दी वर्जन में निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित है : भेषज निष्णातः (फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री) भेषज निष्णातः (फार्मास्यूटिक्स) भेषज निष्णातः (फार्माकोलॉजी) 2. शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष (III एवं IV सेमेस्टर) के कुछ छात्रों ने अनुत्तीर्ण होने पर सत्र 2023–2024 में द्वितीय वर्ष में पुनः प्रवेश लिया था। इन्होंने तृतीय सेमेस्टर की सत्रीय परीक्षा नहीं दी चूंकि इन्हें कथितरूप से विभाग द्वारा बताया गया कि इनके सत्रीय परीक्षा नहीं होंगे और पुराने सत्रीय अंक चढेंगे जबकि नियमानुसार इनकी सत्रीय परीक्षा होनी चाहिए थी, इसीलिए मूल्यांकन विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करते समय इन्हें सत्रीय परीक्षा में अनुपस्थित कर दिया था। तत्पश्चात् वे अपने पुराने सत्रीय अंको के लिए बार–बार मूल्यांकन विभाग आते रहे। अब ये छात्र बी.एस-सी के अंतिम सेमेस्टर VI सेमेस्टर के बाद पुनःपरीक्षा (गोल्डन परीक्षा 2025) भी दे चुके हैं बावजूद इनके तृतीय III सेमेस्टर में एक–एक प्रश्न अद्यतन अनुत्तीर्ण हैं। इन छात्रों में से विक्रांत, सचिन कुमार तथा सागर ने प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है कि यदि इनके तृतीय सेमेस्टर के पुराने सत्रीय अंक की अनुमति मिल जाती है तो ये उत्तीर्ण हो जायेंगे । 3. शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में एक छात्र योगेश कुमार ने एम.बी.ए. में प्रवेश लिया था। छात्र द्वितीय सेमेस्टर में न तो परीक्षा फार्म भरा और न ही द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। शैक्षणिक सत्र 2023–2024 में द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया। अप्रैल–मई 2024 में सम्पन्न चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के साथ–साथ द्वितीय सेमेस्टर के समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा दे दी। नियमानुसार न होने के कारण इनका चतुर्थ सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर की पुनः परीक्षा अवरूद्ध कर दी गयी थी । 4. शैक्षणिक सत्र 2019–2020 में एक छात्र आशीष ने बी.ए. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण किया। परन्तु शैक्षणिक सत्र 2020–2021 में द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दी और सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दी। शैक्षणिक सत्र 2021–2022 में पंचम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ तृतीय सेमेस्टर की प्रश्न पत्रों की पुनः परीक्षा दी । तृतीय सेमेस्टर एवं षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम अवरूद्ध कर दिया गया है। 5. कृष्ण कुमार राम ने शैक्षणिक सत्र 2021–2022 में प्रथम वर्ष से प्रमोट किया। शैक्षणिक सत्र 2022–2023 में द्वितीय वर्ष से प्रमोट किया। शैक्षणिक सत्र 2023–2024 में तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में प्रवेश न लेकर सीधे षष्ठम सेमेस्टर में प्रवेश ले लिया। सीबीसीएस के नियमानुसार इनका तृतीय वर्ष अनुत्तीर्ण होना था। शैक्षणिक सत्र 2024–2025 में चतुर्थ वर्ष के सप्तम सेमेस्टर को छोड़कर सीधे अष्ठम सेमेस्टर में प्रवेश दे दिया गया। अष्ठम सेमेस्टर में अपडेट करते समय यह जानकारी प्राप्त होने पर अष्ठम सेमेस्टर अवरूद्ध कर दिया गया। छात्र ने बताया है कि शुल्क जमा न करने के कारण पंचम और सप्तम सेमेस्टर नहीं दे सका।
	1. एम.फार्म. उपाधि तीन विषयों में संचालित हैं। उक्त तीनों उपाधि का अंग्रेजी व हिन्दी वर्जन में तैयार किया जाता है, जो निम्नवत है : (i) Master of Pharmacy (Pharmaceutical Chemistry) भेषज निष्णातः (फार्मास्यूटिकल कैमेस्ट्री) (ii) Master of Pharmacy (Pharmaceutics) भेषज निष्णातः (फार्मास्यूटिक्स) (iii) Master of Pharmacy (Pharmcology) भेषज निष्णातः (फार्माकोलॉजी) उक्त बिन्दु सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया गया। 2. उक्त के आलोक में सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया विक्रांत, सचिन कुमार तथा सागर को समविश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश दिया गया है। अतः पूर्व के

	अंकों को वर्तमान के विषय प्रश्न पत्रों में जोड़ा नहीं जा सकता। उक्त अभ्यर्थियों को सत्रीय मूल्यांकन परीक्षा में बैठने का अन्तिम अवसर दे दिया जाए। 3–5. उपर्युक्त बिन्दुओं के सन्दर्भ में सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि उपरोक्त समस्त छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाए।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 03	**संस्कृत विभाग से प्राप्त पत्र के निम्न बिन्दुओं पर विचार :** 1. अतिथि/तदर्थ प्राध्यापक/प्राध्यापिका को असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतनमान की मूल वेतन ही कम से कम दिए जाने की व्यवस्था अथवा न्यूनतम पैतालीस हजार किए जाने पर विचार। 2. कुछ दिनों को छोड़कर सम्पूर्ण वर्ष भर के लिए वेतन दिए जाने पर विचार।
	सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव वित्त समिति से संबंधित है। अतः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति की बैठक में रखा जाए।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 04	**विश्वविद्यालय में प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा हेतु स्पष्ट नीति/नियम बनाए जाने पर विचार।**
	उक्त बिन्दु प्रस्ताव संख्या 03 में अंकित है।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 05	**संस्कृत विभाग से प्राप्त संलग्न प्रपत्र पर विचार।** **1. पी–एच0डी0 की मौखिकी सम्पन्न कराने हेतु बाह्य परीक्षकों के नाम शोध निर्देशक के साथ–साथ विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाए।** **2. विश्वविद्यालय की एम.ए. सत्रान्त परीक्षा के प्रश्नपत्रों का निर्माण दो खण्डों में निर्धारित प्रारूप में करवाकर परीक्षायें करवाई जाती है, जिसमें क्रमशः 10 और 08 प्रश्न द्रष्टव्य रहते हैं, उनमें से किन्हीं पांच और चार को करना होता है। यह विकल्प निश्चयेन अत्यधिक है। छात्र बिना परिश्रम किए ही पचास प्रतिशत पाठ्यक्रम को पढ़कर उत्तीर्ण हो रहे है। परिश्रम के अभाव में छात्र के भावी जीवन पर इसका शनैः शनैः दुष्प्रभाव होना निश्चित है। अतः सत्रान्तः परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्माण में परिवर्तन का प्रस्ताव है।**
	1. उक्त संदर्भ में प्रो0 ब्रह्मदेव ने कहा कि शोधार्थी के मौखिकी परीक्षा के परीक्षक की जानकारी निर्देशक के साथ–साथ विभागाध्यक्ष को भी होने से मौखिकी ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही को सुचारू रूप से पूर्ण किया जा सके। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मौखिकी परीक्षा के बाह्य परीक्षक की जानकारी शोध निर्देशक के साथ–साथ विभागाध्यक्ष को भी गोपनीय रूप से भेजी जायेगी। 2. सदन में उक्त बिन्दु के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि सभी विभाग अपने–अपने विभाग की बी0ओ0एस0 कराकर आगामी शिक्षा पटल की बैठक में प्रस्तुत करें। इस हेतु प्रस्ताव संख्या 19 के अनुसार कमेटी के निर्णयानुसार किया जाएगा।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 06	**समविश्वविद्यालय में संचालित सभी AICTE UG पाठ्यक्रमों में "Disaster Management and Preparedness" पढ़ाए जाने पर विचार।**
	उक्त संदर्भ में सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह नॉन क्रेडिट कोर्स है जो कि CGPA/SGPA में सम्मिलित नहीं किया जाना है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से सम्पुष्ट हुआ।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 07	**मुख्य परिसर एवं कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित करने पर विचार।**
	माननीया कुलपति जी ने उक्त प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखते हुए कहा कि छात्रों के लिए मुख्य परिसर एवं छात्राओं के लिए कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून में एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त संदर्भ में बार काउंसिल से मान्यता संबंधी कार्यवाही की जाएगी। इसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
पूरक प्रस्ताव संख्या– 08	**समविश्वविद्यालय में B.Sc. Physics–Semiconductor (3-Year/4-Year Honours/Research) (Programme from the Academic Session 2026–27 with an intake of 25 seats) पाठ्यक्रम संचालित किए जाने पर विचार।**
	उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

<table>
<tr><td rowspan="2">पूरक प्रस्ताव
संख्या– 09</td><td>समविश्वविद्यालय में निम्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाने पर विचार :
1. B.Sc. Biomedical Science (Honours)
2. B.Sc. Forensic Science & Criminology
3. B.Sc./B.Tech. Food Technology & Nutrition
4. B.Sc. Nursing (Honours)
5. B.Tech/B.Sc. Biomedical Engineering
6. L.L.B.
7. B.Mus. (Bachlor of Music)/B.P.A. (Bachor of Performance Arts)
8. M.Sc. Stem Cell Therapy and Transformational Neuroscience
9. B.Ed.
10. M.Sc. Computer Science
11. M.Sc. Zoology
12. Food Technology and Product Safty (1 Year Certificate/Diploma)</td></tr>
<tr><td>सदन में डॉ0 सत्येन्द्र राजपूत ने उक्त पाठ्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इन पाठ्यक्रमों के चलाने से विश्वविद्यालय को आर्थिक लाभ होगा जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ेगी। सदन में मा0 कुलपति ने बी0एस–सी0 नर्सिंग को लेकर बताया कि आस–पास के हास्पिटल से एम0ओ0यू0 साईन किया जा सकता है जिससे छात्राओं को नर्सिंग की पढ़ाई में कोई परेशानी न आ सके। शिक्षाविद्/बाह्य विशेषज्ञ प्रो0 श्रवण कुमार शर्मा ने कहा कि नर्सिंग के कई संस्थाएं पूर्व से ही काम कर रही है। उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व संबंधित संस्थाओं से मान्यता लेना अत्यन्त आवश्यक है। प्रो0 विवेक कुमार ने कहा कि नर्सिंग पाठ्यक्रम हरिद्वार जनपद में 10–12 संस्थाएं संचालित कर रही है। प्रो0 एम0एम0 तिवारी ने कहा कि समविश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रपोजल भेजा जाए तथा अनुदान एवं स्वीकृति के पश्चात ही पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए।
विचारोपरान्त उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।</td></tr>
</table>

Navneet 31/12/25

कुलसचिव/संयोजक

Registrar
Gurukula Kangri (Deemed to be University)
Haridwar, Uttarakhand-249404